कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा।

पत्र संख्या– पेट्रो–07 / सी0एफ0ओ0 / 15(कासगंज) दिनांकः 25-05-2015

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कासगंज।

विषयः – ग्राम भिटौना तहसील व जनपद कासगंज के गाटा सं0– 95 / 2,95 / 4,96 / 1व 97 / 1 वरेली से मथुरा रोड पर नये रिटेल आउटलेट स्थापित करनें हेतु जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्वन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–2026 / न्याय सहायक(द्वितीय)– 2015 दिनांकः 16.04.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से ग्राम भिटौना तहसील व जनपद कासगंज के गाटा सं0– 95 / 2,95 / 4,96 / 1 वरेली से मथुरा रोड पर नये रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत स्थल का प्रस्तुत किये गये मानचित्रों के साथ निरीक्षण / परीक्षण किया गया तो प्रश्नगत स्थल वरेली मथुरा रोड पर माइलेज संख्या 153 से 207.50 मीटर पर स्थित है। जो मानचित्र के अनुरुप है प्रश्नगत स्थल के सामने सड़क की चौड़ाई 30 मीटर जिसमें पक्की(डावरीकरण) सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है।प्रस्तावित स्थल तक फायर सर्विस के सभी प्रकार के वाहन सुगमता से आ जा सकते हैं। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के सामने एवमं स्थल के ऊपर से कोई भी हाईटेंशन / लोटेंशन विद्युत लाइन नही गुजर रही है। प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेंतु प्रस्तुत किये गये मानचित्रों में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थायें पेट्रोलियम रूल्स के अनुरूप है। प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निशमन संस्तुति की जाती है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये मैंसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा को प्रश्नगत स्थल गाटा संख्या– 95 / 2,95 / 4,96 / 1व 97 / 1 वरेली – मथुरा मार्ग पर नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आख्या निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है।

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स–2002 एवं रिटेल आउटलेट विषयक समय सीमा पर तथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की कोई हाइटेन्शन / लोटेन्शन विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है।
3. प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शायें गये पेट्रोलियम पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।

SSNag
SUSHANT S.NAG
Sr. Sales Officer-Etah S/A
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी प्रकार के पदार्थो या स्थितियां जो चिनगारी/अग्नि उत्पन्न करते हो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके समुचित उपाय किये जायेगें।

5. प्रस्तावित स्थल पर धुम्रपान निषेध बोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक एवं आपातकालीन टेलीफोन नं0 की सूची को दर्शाना होगा।

6. प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ0आई0एस0डी0 स्टेण्डर्ड, पेट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी।अतः प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरुप निमार्णोपरान्त एवमं स्थल पर प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूर्ण कर संचालन हेतु इस शर्त पर संस्तुति सहित आख्या निर्गत की जाती है कि व्यवस्थापक द्वारा स्थल पर अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखेगे अन्यथा अग्निशमन व्यवस्था के अकार्यशील होने की दशा में निर्गत की गई आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक अनुमोदित मानचित्र एक प्रति

25/5/15

(जे0एन0 दोहरे)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
एटा।

SSNag
SUSHANT S.NAG
Sr. Sales Officer-Etah S/A
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
कासगंज वन प्रभाग
कासगंज